ई पत्रावली संख्या-50713

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी2024

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधानसभा लैन्सडाऊन में विभिन्न 04 निर्माण कार्यों (द्वितीय चरण स्टेज I) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये द्वितीय चरण स्टेज I के आगणनों, जिनमें मोटर मार्गों की लम्बाई 12.75 किमी. एवं लागत, ₹336.75 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹336.75 लाख (रूपये तीन करोड़ छतीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 04 कार्यों हेतु कुल ₹0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र.सं | कार्य का नाम | लमबाई (किमी. में) | शासन द्वारा अनुमोदित लागत | चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडाऊन के विकासखण्ड रिखणीखाल के अन्तर्गत सिद्धखाल-बीरोंखाल मार्ग से चुरानी-मज्याडी के लिए मोटर मार्ग निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज I)। | 3.00 | 92.91 | 0.10 |
| 2. | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडाऊन के अन्तर्गत मैन्दोली-सिलोली मोटर मार्ग के कि0मी0 03 से ग्राम कुणजोली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज I)। | 1.75 | 65.29 | 0.10 |
| 3. | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- लैन्सडाऊन के विकासखण्ड नैनीडांडा में खडोलिया खेत से कौलापुलटण्डा मोटर मार्ग का नवनिर्माण (द्वितीय चरण स्टेज I) । | 4.00 | 100.41 | 0.10 |
| 4. | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र- लैन्सडाऊन के विकासखण्ड नैनीडांडा में डोलियाखाल-पटोरिया मोटर मार्ग | 4.00 | 78.14 | 0.10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...किमी. 3 बीजूबैण्ड से ग्राम बाडियू-रिंगलटी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज I)। | | | |
| कुल योग :- | 12.75 | 336.75 | 0.40 |

(रूपये चालीस हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृतियां निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

i. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

iii. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

iv. विषयगत कार्यों/आगणनों पर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है कि कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिह्नीकरण कर तथा इनके OGL/X-Section रिकॉर्ड कर लिये जायें तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Levels के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा आंकलित कर की जाये। इसके साथ ही कार्य कराने से पूर्व भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

vi. निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

x. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॅक्यौरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006

द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या– 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/182888/2024 दिनांक 16 जनवरी,2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**Signed by Shyam Singh**
**Date: 25-01-2024 10:54:32**

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा.ख., लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाऊन।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

# बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024 )

## Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

...न पत्र संख्या -I/184861/2024
...ुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S24010220032
आवंटन पत्र दिनांक-29-JAN-2024

| | | |
|---|---|---|
| लेखा शीर्षक | 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 04-जिला तथा अन्य सड़के |
| | 337-सडक निर्माण कार्य | 03-राज्य सेक्टर |
| | 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित ) | Voted |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|---|---|---|---|---|
| 53-वृहद निर्माण | 9380000 | 40000 | 0 | 9420000 |
| योग | 9380000 | 40000 | 0 | 9420000 |

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.40,000 (Rupees Forty Thousand Only)**

**Approval Status : APPROVED BY OFFICER**

**phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431**

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''नियोजन–।'' उत्तराखण्ड देहरादून
**Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand**
**Web-http://govt.ua.nic.in/pwd** **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 102 /20 याता0'क'नियो0–1/2024 दिनांक– 29.02.2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय ''वैबसाईट'' पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड